CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.029

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

श्रम सुधारो के संबंध में अंबेडकर के योगंदान का अध्ययन

महेश कुमार
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविधालय, जयपुर
Email-maheshbhaskar1@gmail.com, Mob- 9414441475

First draft received: 15.10.2024, Reviewed: 25.10.2024, Final proof received: 18.11.2024, Accepted: 25.11.2024

सार-संक्षेप

अम्बेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे बल्कि भारत के श्रम कानून सुधारों के दूरदर्शी वास्तुकार भी थे। अम्बेडकर ने व्यापक श्रम सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया जो विशेषकर दलितों और अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करेगा। उनका विचार कार्यस्थल से आगे बढ़कर, समान अवसर, उचित वेतन और सम्मानजनक कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करके व्यक्तियों के समग्र सशक्तिकरण का लक्ष्य रखता था। अम्बेडकर का आसन्न श्रम केवल आर्थिक भागीदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक गरिमा प्राप्त करने और ऐतिहासिक उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने का एक साधन है। श्रम सुधारों के लिए अंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। श्रमिक की स्थिति और गुलामी की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं भारत में कई महत्वपूर्ण श्रम कानूनो की पहल डॉ. अंबेडकर द्वारा गई, वायसराय की कार्यकारी परिषद में डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित 'श्रम चार्टर' बाद में इस देश में श्रमिक कल्याण योजनाओं का आधार और मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के उत्साह और देश की नियति को आकार देने वाली बहसों के बीच, डॉ. अंबेडकर ने एक ऐसी श्रम प्रणाली की कल्पना की जो महज आर्थिक पारिश्रमिक से परे हो। इस प्रणाली ने प्रत्येक श्रमिक के लिए सम्मान, सशक्तिकरण और समग्र कल्याण की गारंटी दी। अम्बेडकर ने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों के खिलाफ लड़ने के महत्व पर जोर दिया क्योकि अम्बेडकर ने दोनो को मजदूर वर्ग के दुश्मन माना है। 1990 के दशक में भारत में नवउदारवादी बाजार अर्थव्यवस्था के प्रवेश और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की प्रक्रिया ने भारत में श्रमिक वर्ग के मुद्दों को और अधिक जटिल बना दिया। समाज के प्रति अम्बेडकर का योगदान बहुत बड़ा है लेकिन एक श्रमिक नेता के रूप में अम्बेडकर की भूमिका को लगभग सभी लोग नजरअंदाज करते हैं। यह शोध श्रमिक कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा के प्रति उनके प्रयासों को उजागर करने का एक प्रयास है।

मुख्य शब्द : *पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, सामाजिक न्याय, श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, नवउदारवाद आदि.*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के निर्माता भारत के श्रम कानून सुधारों के दूरदर्शी वास्तुकार, अम्बेडकर ने देश के कार्यबल और अर्थव्यवस्था के ढांचे को आकार देने में एक स्थायी छाप छोड़ी है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों के खिलाफ लड़ने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि ब्राह्मणवाद ने पूंजीवाद को मजबूत किया और जब तक ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, पूंजीवाद को हराने की कोई उम्मीद नहीं होगी। डॉ.बी. आर अम्बेडकर ने 20 जुलाई, 1942 से जून 1946 तक वायसराय कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, भारत में श्रम कानून और कल्याण में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस अवधि में वेतन के साथ छुट्टियाँ और काम के कम घंटे सुनिश्चित करने तथा भारतीय खान अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत लाभों और सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट्रीज अधिनियम में संशोधन किए गए[1]। डॉ. अम्बेडकर के योगदान में वैधानिक कल्याण कोष की स्थापना और सामाजिक बीमा में प्रगति भी शामिल थी। उनके प्रयासों से भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति जैसे त्रिपक्षीय निकायों का गठन हुआ, जिन्होंने सलाहकार सिफारिशों के माध्यम से सरकारी श्रम नीतियों को आकार देने और श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अम्बेडकर ने श्रमिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए निर्धारित भारतीय खान (संशोधन) अध्यादेश, 1945 में केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया, जिसके तहत खदान मालिकों को महिला श्रमिको के बच्चों के उपयोग के लिए क्रेच का निर्माण और रखरखाव करने की व्यवस्था करनी होगी, जब डॉ. अम्बेडकर ने श्रम विभाग का कार्यभार संभाला तो श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम सामाजिक सुरक्षा के एकमात्र उपाय थे। उन्होंने वेतन के साथ छुट्टियों और काम के घंटों को कम करने की मांग की,। ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता प्रदान करने वाले भारतीय ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक को श्रम सदस्य अम्बेडकर द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ताकि श्रमिक प्रतिनिधि मुद्दों को संबोधित कर सकें। उनके लिए न्यूनतम वेतन और सामाजिक बीमा कानून बनाया गया था[2]। उपनिवेशवाद के बाद औद्योगीकरण से वैश्वीकरण और नवउदारवाद की ओर परिवर्तन ने परिदृश्य को बदल दिया है। कृषि क्षेत्र के श्रमिक अब कारखाने और उद्योग के काम में स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे रोजगार, बुनियादी अस्तित्व और बेहतर आजीविका के लिए ग्रामीण से शहरी प्रवास हो रहा है। उपनिवेशवादियों और भारतीय पूंजीपति वर्ग के बीच सहयोग

के परिणामस्वरूप कारखानों की स्थापना हुई, जिससे लाभ–संचालित प्रयासों की शुरुआत हुई, जिन्होंने अपने अधिकारों के बारे में शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण मजदूरों का शोषण किया। सरकारी नियमों या सुरक्षात्मक उपायों की अनुपस्थिति ने मालिकों को आसानी से उनका शोषण करने की अनुमति दी। अंबेडकर ने भारत के श्रम कानून सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय श्रम कानून श्रम बल में समानता, स्वतंत्रता और कल्याण लाने के लिए एक संवैधानिक ढांचे के रूप में विकसित हुए हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के माध्यम से श्रम की सुरक्षा करता है। श्रम मामले 'समवर्ती' सूची के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य और केंद्र सरकारों को श्रम–संबंधी मुद्दों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। श्रम कानून में उनके महत्वपूर्ण योगदान और वायसराय की कार्यकारी परिषद में उनके समय और श्रम मंत्री और कानून मंत्री की बाद की भूमिकाओं में भारतीय श्रम स्थितियों में सुधार, इस क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर की भूमिका पर अक्सर अकादमिक चर्चाओं में न्यूनतम ध्यान दिया जाता है[3]।

स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को तैयार करने में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। श्रम सुधारों में उनका गहन योगदान अक्सर उनकी जीवन से भी बड़ी विरासत की छाया में रहता है। यह शोध श्रम सुधार पर डॉ. अंबेडकर के दूरदर्शी दृष्टिकोण को उजागर और स्पष्ट करने का प्रयास करता है, जिसमें कार्यबल की मुक्ति और कल्याण के लिए उनके गहन निहितार्थों पर जोर दिया गया है। भारत के सामाजिक–राजनीतिक ताने–बाने में, डॉ. अम्बेडकर की वकालत जाति–आधारित भेदभाव की रूपरेखा से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनके बहुआयामी दृष्टिकोण में मेहनतकश जनता की दुर्दशा के प्रति गहरी चिंता शामिल थी, विशेषकर जाति, वर्ग या आर्थिक वंचितता के कारण समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की[4]। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के उत्साह और देश की नियति को आकार देने वाली बहसों के बीच, डॉ. अंबेडकर ने एक ऐसी श्रम प्रणाली की कल्पना की जो महज आर्थिक पारिश्रमिक से परे हो। इस प्रणाली ने प्रत्येक श्रमिक के लिए सम्मान, सशक्तिकरण और समग्र कल्याण की गारंटी दी। यह शोध श्रम सुधारों में डॉ. अंबेडकर की सूक्ष्म और अक्सर नजरअंदाज की गई अंतर्दृष्टि की खोज पर आधारित है। यह उनके लेखन, भाषणों और विधायी प्रयासों के माध्यम से प्रकट होता है, जिसका उद्देश्य न्यायसंगत और न्यायसंगत श्रम ढांचे के लिए उनके प्रस्तावों के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। अपने समय के सामाजिक–आर्थिक परिवेश के भीतर उनके विचारों को प्रासंगिक बनाते हुए, यह अध्ययन उन चुनौतियों का पता लगाने का प्रयास करता है जिनका सामना मजदूरों को करना पड़ता है, विशेष रूप से हाशिए की पृष्ठभूमि वाले लोगों को, और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए डॉ. अंबेडकर ने जो दूरदर्शी समाधान प्रस्तावित किए थे। यह शोध वैश्विक श्रम गतिशीलता के उभरते परिदृश्य में, डॉ. अंबेडकर के श्रम सुधार सिद्धांतों की समकालीन प्रासंगिकता का आकलन करने का प्रयास करता है। यह आधुनिक कार्यबल के भीतर शोषण, असमानता और हाशिए के मौजूदा मुद्दों की जांच करता है, जिसका लक्ष्य डॉ. अंबेडकर के स्थायी ज्ञान से समानताएं प्राप्त करना और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। यह अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को वर्तमान वास्तविकताओं के साथ जोड़कर, अधिक समावेशी और न्यायसंगत कार्यबल ढांचे को बढ़ावा देकर समकालीन श्रम नीतियों में उनके सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करता है। इस व्यापक परीक्षण के माध्यम से, यह शोध डॉ. बी.आर. की गहन विरासत पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। श्रम सुधारों के विचारों में अम्बेडकर, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक परिदृश्य में अधिक न्यायसंगत और सशक्त कार्यबल को आकार देने में उनके विचारों की स्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं।

श्रमिकों की उत्पत्ति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

श्रमिक की स्थिति और गुलामी की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और भारत में भिन्न–भिन्न हैं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में श्रम प्रथाओं के विकास, संगठित कार्य के उद्भव और जटिल सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं की जांच करना शामिल है जिन्होंने कार्यबल को आकार देने में योगदान दिया। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं में, संगठित श्रम अक्सर कृषि प्रथाओं से जुड़ा होता था, जहां किसान शासकों या जमींदारों के अधिकार के तहत भूमि पर काम करते थे। गुलामी विभिन्न रूपों में प्रचलित थी, और गुलाम बनाए गए लोगों का उपयोग कृषि कार्य से लेकर निर्माण और घरेलू कामों तक किया जाता था। प्राचीन ग्रीस और रोम में गुलामी सामाजिक और आर्थिक संरचना का एक मूलभूत हिस्सा थी। गुलाम बनाए गए लोगों का उपयोग कृषि, खनन और घरेलू नौकरों के रूप में किया जाता था। शिल्पकारों, कारीगरों और विभिन्न व्यवसायों में लगे श्रमिकों के साथ मुक्त श्रम भी मौजूद था। मध्यकालीन सामंतवाद. मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद हावी था, जहां भूदास सुरक्षा के बदले में जमींदारों की स्वामित्व वाली भूमि पर काम करते थे[5]। इस व्यवस्था ने श्रम शक्ति को भूमि से बांध दिया। अन्वेषण के युग और उसके बाद के उपनिवेशीकरण में आधुनिक दास व्यापार का क्रूर विस्तार देखा गया, बंधुआ मजदूरी के रूप में लाखों अफ्रीकियों को वृक्षारोपण पर काम करने के लिए अमेरिका लाया गया। भारतीय संदर्भ में, व्यवसायों और श्रम भूमिकाओं को परिभाषित करने में वर्ण और जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। प्रत्येक वर्ण एवं जाति व्यवस्था विशिष्ट कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, उन्होंने भारत के श्रम परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अंग्रेजों ने नकदी फसलों की खेती सहित नई आर्थिक नीतियां पेश कीं, जिससे कृषि पद्धतियों में बदलाव आया। इस अवधि के दौरान कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के भारतीय श्रमिकों का शोषण स्पष्ट हो गया। विशिष्ट उद्योगों में बलात श्रम भी प्रचलित था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन हुए। सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों को आकार देने में भूमिका निभाई[3]। इस अवधि में श्रमिक संघों को औपचारिक रूप दिया गया और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए नियामक ढांचे की स्थापना की गई। वैश्वीकरण के युग में, भारत ने अपने श्रम परिदृश्य में बदलाव का अनुभव किया। शहरीकरण, तकनीकी प्रगति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव ने काम की प्रकृति को प्रभावित किया। अनौपचारिक श्रम, शोषण और श्रम सुधारों की आवश्यकता के मुद्दे समकालीन चर्चाओं का हिस्सा बने हुए हैं। श्रम, श्रमिकों और गुलामी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने से उन जटिल और परस्पर जुड़े कारकों की अंतर्दृष्टि मिलती है जिन्होंने विश्व स्तर पर और भारत में कार्यबल को आकार दिया है। इन ऐतिहासिक गतिशीलता की विरासत समकालीन श्रम प्रथाओं और नीतियों को प्रभावित करती रहती है[6]

भारत में श्रमिक भेदभाव

भारत में श्रमिक भागीदारी और असमानताएं देश के विविध सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। बड़ी आबादी कार्यबल की भागीदारी, अलग–अलग आर्थिक स्थितियों और क्षेत्रीय असमानताओं को प्रभावित करती है। भारत गुणवत्तापूर्ण कार्यबल

भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति का सामना कर रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर अभी भी बना हुआ है। महिलाओं को अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा और नौकरी के अवसरों तक पहुंच सीमित हो जाती है। क्षेत्रीय और ग्रामीण–शहरी असमानताएं मौजूद हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है[7]। शैक्षिक असमानताएँ, विशेष रूप से कौशल विकास के संबंध में, कार्यबल असमानताओं में और योगदान करती हैं। जाति और जातीयता पर आधारित भेदभाव चिंता का विषय बना हुआ है, जिससे कुछ समूहों की श्रम बाजार में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है। कौशल विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली सरकारी पहल का उद्देश्य इन असमानताओं को दूर करना है, लेकिन प्रणालीगत चुनौतियाँ बाधाएँ पैदा करती रहती हैं। तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रहा परिवर्तन, कार्यबल की गतिशीलता में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। इन असमानताओं को पाटने, सभी जनसंख्या वर्गों के लिए समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है[8]।

श्रमिको की मुक्ति के संबंध में अम्बेडकर का दृष्टिकोण

अम्बेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के प्रति लोकप्रिय और हाशिये पर पड़े लोगों के लिए अथक बलिदान देने वाले अंबेडकर ने श्रम मुक्ति और समाज को भेदभाव और असमानता से मुक्ति दिलाने के व्यापक लक्ष्य के बीच आवश्यक संबंध को पहचाना। उनकी दृष्टि में श्रम के कानूनी और आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया और गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक पदानुक्रम को खत्म करने की कोशिश की गई। अम्बेडकर ने व्यापक श्रम सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया जो विशेषकर दलितों और अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करेगा। उनका विचार कार्यस्थल से आगे बढ़कर, समान अवसर, उचित वेतन और सम्मानजनक कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करके व्यक्तियों के समग्र सशक्तिकरण का लक्ष्य रखता था। अम्बेडकर का आसन्न श्रम केवल आर्थिक भागीदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक गरिमा प्राप्त करने और ऐतिहासिक उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने का एक साधन है। डॉ.बी.आर. अंबेडकर की विरासत समावेशी श्रम नीतियों के प्रयासों को प्रेरित करती है, जो अपने अर्थ में श्रम की मुक्ति की मांग को मजबूत करती है, जैसा कि भारत के अग्रणी समाज सुधारकों में से एक ने कल्पना की थी[9]।

अम्बेडकर और श्रम सुधार

भारतीय संविधान, अम्बेडकर के नेतृत्व में निर्मित हुआ। न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की आधारशिला के पक्ष में हैं। इस संवैधानिक ढांचे के भीतर अंबेडकर की सामाजिक और आर्थिक समानता की दृष्टि को प्रतिबिंबित करने वाले श्रम कानूनों के लिए एक स्वस्थ आधार निहित है। अपने निदेशक सिद्धांतों में, संविधान न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थितियों को सुरक्षित करने और सभी नागरिकों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने की राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। संविधान में संरक्षित संवैधानिक, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्रता और शोषण के खिलाफ सुरक्षा, श्रम–संबंधी कानून के लिए आधार प्रदान करते हैं। श्रम कानूनों पर डॉ. अम्बेडकर का प्रभाव विशेष रूप से श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने, उचित वेतन और काम के घंटे जैसे मुद्दों को संबोधित करने और बाल श्रम पर रोक लगाने में स्पष्ट है[10]। संविधान राज्य को औद्योगिक विवादों पर कानून बनाने, सामूहिक सौदेबाजी और यूनियन बनाने का अधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। अंबेडकर द्वारा परिकल्पित सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता, अनुकूल कार्य नीतियों में परिलक्षित होती है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जिसका उद्देश्य कार्यबल में ऐतिहासिक असमानताओं को मिटाना है। न्यायपालिका संवैधानिक ढांचे के भीतर श्रम कानूनों की व्याख्या और समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न संशोधनों और ऐतिहासिक निर्णयों ने नियोक्ताओं और श्रमिकों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करते हुए, भारतीय संविधान और श्रम कानूनों के बीच संबंधों को और परिष्कृत किया है। भारतीय संविधान को अम्बेडकर, के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा आकार दिया गया जो श्रम कानूनों के निर्माण और विकास के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। यह न केवल एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की कल्पना करता है, बल्कि उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करते हुए श्रम बल की बढ़ती जरूरतों का पालन करने के लिए एक गतिशील मंच भी प्रदान करता है[11]।

ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता

ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता प्रदान करने वाला भारतीय ट्रेड यूनियन विधेयक विधान सभा में श्रम सदस्य डॉ. बी.आर. द्वारा पेश किया गया था। अपने प्रस्ताव पर बोलते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा कि विधेयक में तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं यह एक नियोक्ता को ट्रेड यूनियन मान्यता देने के लिए मजबूर करता है।, इसने एक ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए कुछ शर्तें रखीं, और इसने एक नियोक्ता द्वारा ट्रेड यूनियन की गैर–मान्यता को एक अपराध माना। ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए कुछ शर्तें यह थीं कि इसे एक वर्ष तक अस्तित्व में रहना चाहिए था और इसके कार्यकारी सदस्यों ने किसी अवैध हड़ताल में भाग नहीं लिया हो। प्रांतीय सरकारों, नियोक्ता संघों और श्रमिकों से प्राप्त राय के आलोक में संगठनों ने विधेयक को संशोधित किया। संशोधित विधेयक विधानसभा में 21 फरवरी, 1946 को अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया था[12]।

न्यूनतम वेतन का संरक्षण

कुछ उद्योगों में जहां श्रम अव्यवस्थित या असंगठित था, न्यूनतम वेतन तय करने और उसमें वृद्धि करने के लिए वेतन निर्धारण मशीनरी का गठन करने वाला विधेयक, विधान सभा में अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया था। अम्बेडकर ने 11 अप्रैल, 1946 को इस विधेयक में सरकार को सलाह देने के लिए श्रमिकों और नियोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व के साथ सलाहकार समितियों और सलाहकार बोर्डों के गठन का प्रावधान किया। रोजगार की और श्रेणियां जोड़ने की शक्ति के साथ श्रम उद्योगों के नाम वाली अनुसूची विधेयक के साथ संलग्न की गई। इस विधेयक को एक साल बाद 12 अप्रैल, 1947 को चयन समिति को भेजा गया और 9 फरवरी, 1948 को इसे कानून में बदल दिया गया[13]।

अम्बेडकर के श्रम सुधार संबंधी प्रयासः नया श्रम कोड 2020

2020 का नया श्रम कोड भारत में श्रम कल्याण के लिए एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करता है, जो श्रमिक कल्याण पर भेदभावपूर्ण जोर देने के साथ विधायी ढांचे को संरेखित करता है। कोड की व्यापक प्रकृति एक आदर्श बदलाव को दर्शाती है, जो पारंपरिक कानूनी बाध्यताओं से परे समग्र कर्मचारी कल्याण पर जोर देती है। कोड

में शामिल सुधार निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, काम के घंटे, सुरक्षा मानकों और सामाजिक सुरक्षा उपायों जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं[14]। यह बदलाव सिर्फ एक कानूनी आदेश और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और समावेशी विकास की दृष्टि के प्रति एक उचित प्रतिबद्धता से कहीं अधिक है। अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा देने, व्यावसायिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों को एकीकृत करते हुए, नया कोड केवल अनुपालन से परे एक कार्यस्थल बनाने की आकांक्षा रखता है, जिसका लक्ष्य श्रम बल के समग्र कल्याण और सम्मान का लक्ष्य है। कोड का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जो राष्ट्र की प्रगति में उनकी आवश्यक भूमिका को पहचानता है, इस प्रकार उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में परिकल्पित श्रमिक कल्याण के आदर्शों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है[15]।

श्रमिक कल्याण के संबंध में अम्बेडकर का दृष्टिकोण

श्रम सुधारों के लिए अंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। अम्बेडकर ने ऐतिहासिक अन्यायों को खत्म करने में श्रम सुधारों की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचाना। उनकी दृष्टि श्रम कानूनों की पारंपरिक समझ से परे थी, उन्हें न केवल कानूनी ढांचे के रूप में बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखा। अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए उचित वेतन, उचित श्रम सुरक्षा, काम करने की स्थिति और संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की आवश्यकता पर जोर दिया[16]। रोजगार में सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के लिए अम्बेडकर के प्रोत्साहन का उद्देश्य ऐतिहासिक भेदभावों को संबोधित करना था, विशेष रूप से दलितों और अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए। अंबेडकर की श्रम दृष्टि सामाजिक पदानुक्रम को खत्म करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उनके व्यापक मिशन के साथ संरेखित हुई। आज, उनकी विरासत भारत के उभरते श्रम परिदृश्य में प्रतिध्वनित होती है, जो सामाजिक उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कानूनी ढांचे को जोड़कर अधिक न्यायसंगत और उचित कार्य वातावरण बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को प्रेरित करती है[17]।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम के संबंध में अम्बेडकर का दृष्टिकोण

मानक भारतीय संविधान सामाजिक न्याय के लिए भारत के संघर्ष में एक अग्रणी व्यक्ति की रक्षा कर रहा है, श्रम सुधार पर गहरा प्रभाव डाल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक समानता के प्रति अम्बेडकर की प्रतिबद्धता श्रम अधिकारों के दायरे तक विस्तारित हुई, जहाँ उन्होंने श्रमिकों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के श्रमिकों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने श्रम सुधार को न केवल एक आर्थिक आवश्यकता के रूप में देखा, बल्कि व्याप्त असमानताओं को दूर करने और श्रम में लगे सभी व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता के रूप में देखा[18]। श्रम सुधार के लिए अम्बेडकर की वकालत, विशेषकर निचली जातियों और जनजातियों के श्रमिकों द्वारा झेले जाने वाले प्रणालीगत अन्याय के बारे में उनकी समझ में गहराई से निहित थी। उन्होंने एक न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक उचित वेतन, सभ्य कामकाजी परिस्थितियों और उचित काम के घंटों के महत्व पर जोर दिया। अम्बेडकर का मानना था कि ये सुधार श्रमिकों की भौतिक भलाई में सुधार लाने और उनकी गरिमा की पुष्टि करने और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण थे। अम्बेडकर ने भारतीय श्रम कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के साथ संरेखित करने के महत्व को पहचाना, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे संगठनों ने वकालत की थी[19]। उन्होंने दुनिया भर में श्रमिकों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को बेंचमार्क के रूप में देखा। इन मानकों को भारतीय कानून में शामिल करने की वकालत करके, अंबेडकर का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारतीय श्रमिकों की स्थिति को ऊपर उठाना और अन्य देशों के श्रमिकों के साथ एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना था। श्रम सुधार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को बढ़ावा देने के अम्बेडकर के प्रयास उनके व्यापक सामाजिक न्याय और समानता दृष्टिकोण का हिस्सा थे। उनका मानना था कि आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक उत्थान आपस में जुड़े हुए हैं और आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करके ही सार्थक प्रगति हासिल की जा सकती है। श्रम अधिकारों की वकालत करके और अंतरराष्ट्रीय मानकों की वकालत करके, अंबेडकर ने एक अधिक और समावेशी समाज का निर्माण करना चाहा, जहां हर कोई, अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, आर्थिक विकास का लाभ उठा सके और सम्मान के साथ जी सके। श्रम सुधार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को बढ़ावा देने में अम्बेडकर का योगदान उनकी सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि का अभिन्न अंग था। निष्पक्ष श्रम प्रथाओं और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल की उनकी वकालत ने हाशिये पर पड़े लोगों के उत्थान और श्रम में लगे सभी व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अम्बेडकर की विरासत भारत और उसके बाहर श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयासों को प्रेरित करती है[20]।

समकालीन विश्व में श्रम शोषण

वैश्वीकरण और नवउदारवाद के युग ने दुनिया भर के श्रमिकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण और नवउदारवाद के युग में आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है और इसका प्रभाव श्रमिक जीवन और विभिन्न श्रमिकों के शोषण पर पड़ा है। उन्होंने अकुशल मजदूरों के बीच बेरोजगारी, कम मजदूरी, श्रम अधिकारों का उल्लंघन, बाल श्रम, जबरन श्रम, लिंग असमानता, आपूर्ति श्रृंखला शोषण, व्यापार समझौते और आय असमानता पर प्रभाव पैदा किया[21]। श्रमिकों पर वैश्वीकरण और नवउदारवाद का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों, असमानताओं और उद्योगों में भिन्न–भिन्न होता है। लागत दक्षता की खोज में, बहुराष्ट्रीय निगम अक्सर कम वेतन वाले देशों को श्रम–गहन प्रक्रियाओं को आउटसोर्स करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त वेतन और अपर्याप्त कामकाजी स्थितियां होती हैं। इन आर्थिक प्रतिमानों के तहत अनौपचारिक रोजगार क्षेत्रों का विस्तार कई श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा या नौकरी सुरक्षा के बिना अनिश्चित, कम वेतन वाली नौकरियों में छोड़ देता है। देशों के भीतर आर्थिक असमानता बढ़ गई है क्योंकि जनसंख्या के कुछ हिस्सों को वैश्वीकरण से असमान रूप से लाभ होता है, जबकि प्रचुर मात्रा में श्रमिकों को अपने जीवन स्तर में न्यूनतम सुधार दिखाई देता है। सामाजिक सुरक्षा जाल को कम करना और विशिष्ट क्षेत्रों का गैर–औद्योगिकीकरण नौकरी की असुरक्षा और आर्थिक भेद्यता में योगदान देता है[22]। व्यापार समझौते श्रमिकों की सुरक्षा को संभावित रूप से कमजोर करके स्थिति को और जटिल बनाते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण द्वारा सुगम सीमाओं के पार श्रमिकों की आवाजाही अवसर और जोखिम प्रस्तुत करती है, क्योंकि सीमित कानूनी सुरक्षा के कारण प्रवासी श्रमिकों को शोषण का सामना करना पड़ सकता है। कृषि सहित स्थानीय उद्योगों की

हानि, ग्रामीण से शहरी प्रवास और सीमित रोजगार के अवसरों वाले भीड़भाड़ वाले शहरों को बढ़ावा देकर चुनौतियों को बढ़ाती है16। विपणन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का नया युग ग्रामीण भारत और मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र स्थानीय बाजार प्रणाली के लिए एक जटिल चुनौती बन गया है। वैश्वीकरण और नवउदारवाद के संयुक्त प्रभाव कारकों का एक जटिल जाल बनाते हैं जो श्रम शोषण और वैश्विक स्तर पर श्रमिकों की स्थिति में गिरावट में योगदान करते है[23]।

निष्कर्ष

श्रम सुधार के प्रति अम्बेडकर का दूरदर्शी दृष्टिकोण कार्यबल के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो मुक्ति और कल्याण पर जोर देता है। भारत में श्रम विकास, जो कानूनों को संहिताबद्ध करने और श्रमिकों के लिए समान अधिकार स्थापित करने में उनके अग्रणी प्रयासों की विशेषता है, आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। उनके काम ने भारत में लैंगिक समानता लाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में प्रगति की नींव रखी। प्रगति के बावजूद, मजदूरों को अभी भी भेदभाव, हिंसा और असमानता का सामना करना पड़ता है। श्रम अधिकारों की रक्षा करने वाले और समान अवसर सुनिश्चित करने वाले कानूनों को लागू करके डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण को साकार करना अनिवार्य है। उनकी दृष्टि सीमाओं से परे है और श्रम अधिकारों और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में वैश्विक प्रयासों के लिए प्रेरणा के रूप में काम कर सकती है। अम्बेडकर की स्थायी विरासत श्रमिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष को संचालित कर रही है। श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान का समर्थन करते हुए, उन्होंने एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की नींव रखी। अम्बेडकर ने माना कि सच्ची मुक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब कार्यबल को उचित वेतन, मानवीय कामकाजी परिस्थितियाँ और सामाजिक न्याय के साथ सशक्त बनाया जाए। श्रम सुधार के लिए उनके समर्थन ने न केवल तात्कालिक चिंताओं को संबोधित किया बल्कि अधिक समावेशी और दयालु समाज का मार्ग भी प्रशस्त किया। जैसा कि हम अम्बेडकर की विरासत पर विचार करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके सिद्धांत एक ऐसी दुनिया बनाने के प्रयासों को प्रेरित और निर्देशित करते हैं जहां हर व्यक्ति वास्तविक मुक्ति और कल्याण के फल का अनुभव कर सके।

संदर्भ

1. अंबेडकर, बी. आर. (2017), हिस्टी ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, कल्पज प्रकाशन नईदिल्ली, पृ 78
2. नारायन, दास (2017), डॉ. अंबेडकर्स इकॉनोमिक थोटस, सेंटम प्रकाशन, नईदिल्ली, पृ 124
3. अंबेडकर, बी. आर. (2009) बुद्धा और कार्ल मार्क्स, कल्पज प्रकाशन नईदिल्ली, पृ 101
4. अंबेडकर, सविता (2020), बाबासाहेब अंबेडकर माई लाइफ विथ डॉ अंबेडकर, पेंगूइन, नईदिल्ली,पृ254
5. अंबेडकर, बी. आर. (2020), बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 9 (12वा संस्करण), डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नईदिल्ली।
6. सिंह, जे. के.(2012), पालिटीकल इकॉनोमि ऑफ अंबेडकर, रीगल पब्लिकेशन प्रा. लि.,नईदिल्ली, पृ 39
7 कुमार, आर. (2011), इकॉनोमिक थोटस ऑफ अंबेडकर, कॉमनवैल्थ पब्लिशिंग हाउस, नईदिल्ली, पृ321
8 थोराट, एस के. (2008), बी. आर. अंबेडकर थोटस ऑफ इकॉनोमिक डवलपमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नईदिल्ली, पृ 241
9. निकम, एस. (1998), डेस्टीनी आफ अनटचेबलस इन इंडिया, दीप एंड दीप पब्लिकेशन प्रा. लि.,नईदिल्ली, पृ 43
10 रंगा, एम एल. (2000), डॉ. बी. आर. अंबेडकर लाइफ वर्क एंड रिलेवेंश, मनोहर पब्लिकेशन नईदिल्ली, पृ 230
11 त्यागी, रूची (2010), भारतीय राजनीतिक चिंतन (5वा संस्करण), हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, पृ 178
12 जाटव डी. आर. (2001),डायनामिक्स ऑफ अंबेडकर आइडियोलॉजी, सबलाइम पब्लिकेशन जयपुर पृ 352
13 बक्शी, एस. आर. (2002), बी. आर. अंबेडकर हिज पॉलिटीकल एंड सोशल आइडियोलॉजी, दीप एंड दीप पब्लिकेशन प्रा. लि., नईदिल्ली, पृ 199
14 सिन्हा जोगेन्द्र. (1993). डॉ. अंबेडकरः ए क्रिटीकल स्टडी, विजय पब्लिकेशन, पटना पृ 161
15 वर्मा, एस. आर. (2011) भरतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक सेंटर, जयपुर पृ 520
16 भाटीया के एल ,(1995), सोशल जस्टिस ऑफ बी. आर. अंबेडकर, दीप एंड दीप पब्लिकेशन प्रा. लि., नईदिल्ली, पृ 199
17 कीर, धनंजय (2022), डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र (दूसरा संस्करण),(गजानन सुर्वे) पॉपुलर प्रकाशन प्रा लि., मुंबई पृ, 87
18 जाटव, डी. आर. (2017), बी. आर. अंबेडकर व्यक्तित्व एंव कृतित्व, समता साहित्य सदन, जयपुर, पृ117
19 जाधव, एन. (2015). अंबेडकरः एक असाधारण अर्थशास्त्री ।
20 सिंह, चन्द्रकांत (2011), इकॉनोमिक फिलोसॉफी ऑफ डॉ. बी. आर. अंबेडकर, सेंटम प्रकाशन, नईदिल्ली, पृ 63
21 प्रकाश, देव (204) सोशियो पॉलिटीकल फिलोसॉफी ऑफ डॉ. बी. आर. अंबेडकर , मानक प्रकाशन नई दिल्ली
22 संविधान सभा वाद–विवाद खंड 11 (2), 2015 लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली
23 वेलुसामी एम. (2014) लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड सोशल सिक्यूरिटी, डोमिनेन्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली